सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
तार: "महासर्वेक्षक"
Telegram: "SURVEYS"
फैक्स व दूरभाष: 0091-135-744064
Fax-cum-Telephone: 0091-135-744064
E-Mail/ई-मेल: sgo@nde.vsnl.net.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

महासर्वेक्षक का कार्यालय
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE
डाक बक्स सं0 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं0सी- 321 /718-ए

दिनांक: 10 जनवरी, 2013

सेवा में,

स्थापना एवं लेखा अधिकारी "प्रशासन",(एस.जी.ओ.)
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।

विषय: स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती।

निम्नलिखित **कार्यालय अधीक्षकों को स्थापना एवं लेखा अधिकारी** (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पे बैन्ड-2 रु0 9300-34800+ग्रेड पे रूपये 4600 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते है:-

क्र0सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri N.S. Negi	Surveyor General's Office, Dehra Dun.	Surveyor General's Office, Dehra Dun.

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें । इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्राप्त करके इस कार्यालय कों दिनांक 08-02-2013 तक अवश्य सूचित करें । उपरोक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते है तो उन्हें उनकी अस्वीकृति की तिथि से **एक वर्ष** की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं022011/5/86-स्था0(डी0) के पैरा 17.12 में निहित शर्तो के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

4. उपरोक्त अधिकारी **स्थापना एवं लेखा अधिकारी** के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से **दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे** । इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें ।

5. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

(चन्द्र पाल)
अपर महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. **कार्यालय अधीक्षक:** स्थापना-1/स्थापना-2/जे0सी0एम0/कार्य अध्ययन एकक अनुभाग(म0स0का0) ।
3. महासचिव, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ।
4. फाइल संख्या 1354-ओ0एस0/एस0जी0ओ0 ।